सं0-21034/69/2008-रा.भा.(प्रशि.)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

....

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, 'बी'विंग,चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 24 फरवरी, 2016

विषय: केन्द्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नया पाठ्यक्रम "पारंगत" लागू किए जाने के बारे में ।

कृपया उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 14.6.2013 का अवलोकन करें (प्रति संलग्न) ।

2. केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा **'पारंगत'** पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण शुरु कर दिया गया है ।

3. इस पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने वाले केन्द्र सरकार के कार्मिकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है:-

(क) 55 प्रतिशत से 59 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर - 6000/-रु.

(ख) 60 प्रतिशत से 69 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर - 8000/-रु.

(ग) 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर - 10000/-रु.

उपरोक्त प्रोत्साहन संबंधी वित्तीय खर्च को संबंधित मंत्रालय/विभाग/अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि को वहन करना होगा ।

4. इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना पर अपनी टिप्पणी/सुझाव इस विभाग को 10.03.2016 तक अवश्य भेजें।

स्टेला

(स्टेला खाखा)
अवर सचिव (नीति)

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

OL HDCC-II
119

सं0 21034/69/2008-राभा(प्रशि)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 भवन,
चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-1
दिनांक 11 जून 2013

14 JUN 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा केंद्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु दक्ष बनाए जाने के उद्देश्य से बनाए गए नए पाठ्यक्रम प्रांजल को लागू करने के बारे में ।

राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है । अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने अथवा मैट्रिक स्तर तक हिंदी विषय की पढाई कर चुके होने अर्थात कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हाने के बावजूद हिंदी में कार्यालयीन कार्य निष्पादन करने में उनके दक्ष न होने की बात कही जाती है । संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन 7 की एक सिफारिश के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में दक्षता अथवा प्रवीणता प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्राज्ञ स्तर से ऊपर के स्तर का एक पाठ्यक्रम चलाए जाने का प्रस्ताव है ।

उक्त पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने से पूर्व अब तक चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने तथा कमियों का आकलन करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उनके मंत्रालय/विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों जिन्हें कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है उनके द्वारा हिंदी में किए जाने वाले कार्य का प्रतिशत तथा उनके द्वारा हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाईयों विशेषकर पाठ्यक्रम संबंधी कमियों का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त कर 30 सितंबर 2013 तक राजभाषा विभाग को भेजने का कष्ट करें । यह सूचना (I) स्कूली शिक्षा के आधार पर (II) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान अथवा अन्य माध्यमों से प्रशिक्षण प्राप्त कर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त (III) स्वयं उदघोषणा करके हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों का अलग-अलग विवरण भेजा जाए ।

(डी.के.पांडेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।